उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार 12 चैत्र, शक संवत्, 1925
(दिनांक : 02 अप्रैल, 2003)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी "क")।

2. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी "ख")।

3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

4. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के घनसाली-कोटी-अखोड़ी-हुलाणखाल-मूलगढ़ मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में" श्री प्रेम सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

5. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, " जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के लम्बगांव-कोटालगांव-चमियाला मोटर मार्ग के डामरीकण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में" श्री जगत सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा "जनपद पिथौरागढ़ के जूनियर हाईस्कूल चमाली का उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में" श्री श्याम सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, सदस्य, विधान सभा "जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में शैलंग-पैनी से सलूड़ डुग्रा तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री महावीर भण्डारी एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

....2/...

8. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अधीन लाटा-नागेश्वर-सौड़-सरकण्डा-गोना मोटर मार्ग के डामरीकरण व सुधार के सम्बन्ध में" श्री शेर सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अधीन लम्बित मोटर मार्ग सेन्दुल-पट्ठगांव के शीघ्र निर्माण के सम्बन्ध में" श्री गैणा सिंह पंवार एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

11. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

13. समाज कल्याण मंत्री, उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

14. समाज कल्याण मंत्री, उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

15. समाज कल्याण मंत्री, उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

16. समाज कल्याण मंत्री, उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

17. समाज कल्याण मंत्री, उत्तरांचल अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

18. समाज कल्याण मंत्री, उत्तरांचल अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

....3/....

19. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

20. सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय (एक घण्टा)।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
(क) 1. श्री प्रकाश पन्त, 2. श्री मदन कौशिक, 3. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 4. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 5. श्री माल चन्द,	"उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"
(ख) 1. काजी निजामुद्दीन,	--- तदैव ---
(ग) 1. श्री प्रीतम सिंह पंवार।	--- तदैव ---

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

21. सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

22. सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय (एक घण्टा)।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
(क) 1. श्री प्रकाश पन्त, 2. श्री मदन कौशिक, 3. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 4. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 5. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 6. श्री माल चन्द,	"उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"
(ख) 1. काजी निजामुद्दीन,	--- तदैव ---
(ग) 1. श्री प्रीतम सिंह पंवार।	"उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

23. सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

24. श्री फूल सिंह बिष्ट, द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-
"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2003 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी (ग))

25. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

26. जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम रौंसाल तहसील घनसाली में नर भक्षी बाघ द्वारा मारे गये व्यक्तियों के परिवार को मुआवजा देने के सम्बन्ध में श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 को दी गई सूचना पर, वन एवं पर्यावरण मंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य।

27. जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत में नागरिकों के लिए कीडा स्थल का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, खेलकूद मंत्री का केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून:
दिनांक : 02 अप्रैल, 2003

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

प्रथम सत्र, 2003
का प्रथम बुधवार

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 12 चैत्र, शक संवत्, 1925
(दिनांक : 02 अप्रैल, 2003)

नत्थी (क)

अल्पसूचित प्रश्न

काजी निजामुद्दीन
20.3.2003

**. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा मितव्ययिता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? क्या सरकार प्रदेश के सभी विभागों के मुख्यालयों पर तैनात अधिकारियों को उपलब्ध सरकारी वाहनों के प्रयोग पर नियंत्रण लगाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार 30.1.2003	*1. क्या राजस्व मंत्री के संज्ञान में है कि उत्तरांचल में धनाढ्य लोग बड़ी तादाद में जमीनें खरीद रहें हैं ? क्या सरकार जमीनों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?	राजस्व
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 30.1.2003	*2. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सरकार उत्तरांचल की नदियों को एक दूसरे से जोड़कर किन्हीं दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो अब तक किन-किन योजनाओं पर विचार किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री मातबर सिंह कण्डारी 31.1.2003	*3. क्या राजस्व मंत्री के संज्ञान में है कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के पश्चात् राजधानी में ज़मीन की कीमतें कई गुना बढ़ गयी हैं? यदि हाँ, तो सरकार ज़मीन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कोई कारगर कदम उठाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल 4.2.2003	*4. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर गिर जाने के कारण सिंचाई संबंधी समस्या के निस्तारण हेतु क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये नलकूप लगवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 7.2.2003	*5. क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड खानपुर एवं वि0ख0 लक्सर के खादर दोआब क्षेत्र में व्याप्त बाढ़ की गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु शासन द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हाँ, तो इस योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई

श्री प्रकाश पंत 1.2.2003	*6. क्या आपदा एवं पुनर्वास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण जनपद पिथौरागढ़ के कितने गावों में क्षति हुई है ? क्या सरकार अति संवेदनशील गावों को जिनमें भूस्खलन का खतरा बना हुआ है का सर्वेक्षण करा कर ग्रामवासियों को पुनर्वासित करने की कोई योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है तथा उक्त योजना कब तक लागू हो जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री तसलीम अहमद 15.2.2003	*7. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में हज कमेटी एवं वक्फ बोर्ड के गठन का लगभग 1 वर्ष पूर्व आश्वासन दिया गया था? यदि हाँ, तो गठित की गई हज कमेटी एवं वक्फ बोर्ड की रूप रेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री बिशन सिंह चुफाल 17.2.2003	*8. क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करने की कोई योजना है? प्रदेश में अब तक कुल कितने परिवारों के दैवी आपदा से प्रभावित होने की सूचना है? क्या सरकार इन परिवारों को पुनर्वासित करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पुनर्वास
श्री मदन कौशिक 29.1.2003	*9. क्या राजस्व बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये जिले तथा तहसीलों के गठन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो सरकार की कितने नये जिले तथा तहसील बनाने की योजना है? उस योजना का प्रारूप क्या है?	राजस्व
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 21.2.2003	*10. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में भूमि कटाव के दृष्टिकोण से कौन-कौन से क्षेत्र संवेदनशील हैं ? क्या सरकार इन संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि कटाव को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्री मदन कौशिक 01.08.2002	1. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?	समाज कल्याण

अतारांकित प्रश्न

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 29.1.2003	1. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2001–2002 में अल्मोड़ा जनपद के किन–किन विकास खण्डों में बाल पोषाहार के रूप में खाद्यान्न का वितरण किया गया? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अवधि में जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया विकास खण्ड में भी बाल पोषाहार के रूप में खाद्यान्न आवंटित किया गया था? यदि हाँ, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रथम गुरू के अता0 77 में स्था0
श्री मातबर सिंह कण्डारी 4.2.2003	2. क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पैट्रोल पम्पों में मिट्‌टी तेल की मिलावट की शिकायतें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से मिल रही हैं? क्या यह भी सत्य है कि पैट्रोल एवं डीज़ल में कम माप की भी शिकायतें मिली हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार मिलावट एवं कम मापतोल को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	खाद्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 30.1.2003	3. क्या सिचांई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना में बांध विस्थापित व प्रभावित (आंशिक व पूर्ण) परिवारों के कुल कितने सदस्यों को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन में रोजगार उपलब्ध कराया गया है?	सिंचाई
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 31.1.2003	4. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में सिंचाई विभाग में सहायक अभियंताओं एवं अवर अभियन्ताओं के कुल कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर अभियंताओं की तैनाती करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 5.2.2003	5. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आपदा प्रबन्धन मद से अब तक उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों में कुल कितनी धनराशि किन–किन मदों में आवंटित की गई है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अवशेष धनराशि का उपयोग कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?	आपदा प्रबन्धन
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 10.2.2003	6. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1978–79 में ग्राम सभा खनुली–विकास खण्ड चौखुटिया, जनपद अल्मोड़ा में सिंचाई हेतु विभाग द्वारा कोई पम्पिंग योजना बनाई थी? यदि हाँ, तो क्या उक्त योजना चालू हालत में है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे चालू करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?	सिंचाई

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 10.2.2003	7. क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत चौखुटिया विकास खण्ड में रामगंगा बाँयी नहर से ग्राम सभा खुनली हेतु झांजर नामक स्थान पर एक लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक योजना स्वीकृत हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री बलबीर सिंह नेगी 11.2.2003	8. क्या आपदा प्रबंधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड घनसाली में कितने प्राथमिक विद्यालय, जू0हाईस्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इण्टरमीडिएट कॉलेज भवन 28 मार्च, 1999 को आये विनाशकारी भूकम्प से क्षतिग्रस्त हुए हैं? क्या इनके मरम्मत/निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक मरम्मत/निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री बलबीर सिंह नेगी 11.2.2003	9. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील घनसाली के ग्राम थाति बूढ़ाकेदार, कोटी अगुण्डा में धर्मगंगा व बालगंगा नदी से हो रहे भूमि कटाव को रोकने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है?	सिंचाई
श्री बलबीर सिंह नेगी 11.2.2003	10. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील घनसाली के पटवारी क्षेत्र-चमियाला व पटवारी क्षेत्र पिलखी में 1996 से अब तक कितनी भूमि गवर्नमैन्ट ग्राण्ट के अन्तर्गत आवंटित की गई हैं तथा इन आवंटनों की संख्या पटवारी क्षेत्र-चमियाला व पिलखी में कितनी- कितनी है?	राजस्व
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 11.2.2003	11. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया विकास खण्ड में रामगंगा दाँयी नहर के कनार नामक स्थान से आदिग्राम कन्होंणियाँ में सिंचाई हेतु लिफ्ट-सिंचाई योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक योजना स्वीकृत हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री प्रकाश पंत 13.2.2003	12. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में राजस्व संग्रह अमीन तथा संग्रह चपरासियों के पद नाम से विभाग में कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो इनकी संख्या कितनी है तथा कितने वर्षों से कार्यरत हैं? इनकी सेवा शर्तें क्या हैं? क्या सरकार इन कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
श्री बलबीर सिंह नेगी 13.2.2003	13. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील घनसाली के अन्तर्गत ग्राम कोटी-अगुण्डा, तिलरूणा, प्रिन्सवाड़ भेड़, निवालगाँव, मरबाड़ी, आगर, रगस्या, कोट थाति, बिशन, जखाणा, सौंला, भैन्डगाँव पट्टी-थाति कठूड़ तथा अन्य ग्रामों को भूस्खलन से खतरा है? यदि हाँ, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन

श्री बलबीर सिंह नेगी 13.2.2003	14. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में विगत 10 अगस्त, 2002 को दैवीय आपदा से दबे मृत पशुओं के राहत राशि का वितरण हो चुका है? यदि हाँ, तो कितने प्रभावित परिवारों को भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री बलबीर सिंह नेगी 13.2.2003	15. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 10 अगस्त, 2002 को दैवीय आपदा से सम्पूर्ण बालगंगा क्षेत्र में कितनी कृषि योग्य भूमि नष्ट व क्षतिग्रस्त हुई है? क्या क्षतिग्रस्त खेतों के सुधार व मरम्मत हेतु सरकार कोई कार्ययोजना बना रही है? यदि हाँ, तो उक्त योजना कब तक लागू हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री बलबीर सिंह नेगी 13.2.2003	16. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में अभी तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा प्रदेश में किस-किस जनपद में कितने- कितने परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री नारायण सिंह जंतवाल 13.2.2003	17. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल की पुरानी सब-तहसील कालाढूंगी को पूर्ण तहसील का दर्ज़ा दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
श्री बलबीर सिंह नेगी 14.2.2003	18. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के ग्राम चांजी के लिए सिंचाई की कोई योजना (चांजी नहर) स्वीकृत हुई थी? यदि हाँ, तो क्या यह योजना इस समय कार्य कर रही है? यदि नही? तो क्यों?	सिंचाई
श्री बलबीर सिंह नेगी 14.2.2003	19. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत ग्राम कोन्ती-किरेथ में सिंचाई हेतु कोई सिंचाई नहर स्वीकृत हुई थी? यदि हाँ, तो क्या कोन्ती-किरेथ सिंचाई नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?	सिंचाई
श्री बलबीर सिंह नेगी 14.2.2003	20. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-टिहरी गढ़वाल में वर्ष 2002 से अब तक कितने आवेदकों को विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन वितरित की गई है? गत वर्ष 2001 में कितने लोग इस सुविधा से लाभान्वित हुए है? क्या उक्त पेंशन नियमित रूप से प्रतिमाह वितरित की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण

श्री बलबीर सिंह नेगी
14.2.2003

21. क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में ग्यारहगाँव हिन्दाव व नैलचामी के काश्तकारों के खेतों की सिंचाई हेतु डीह से दोणी-अखोड़ी सिंचाई नहर-निर्माण की कोई योजना स्वीकृत हुई थी? यदि हाँ, तो उक्त सिंचाई नहर का निर्माण लम्बित होने के क्या कारण हैं?

सिंचाई

श्री बलबीर सिंह नेगी
14.2.2003

22. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के ग्राम थाति (बूढ़ाकेदार) में धर्मगंगा नदी से घोरदी हाईड्रम सिंचाई योजना, बालगंगा नदी पर ग्राम-चानी में चुरेरना हाईड्रम सिंचाई योजना एवं विकास खण्ड-जाखनी धार के ग्राम-पिपोला में भिलंगना नदी पर पिपोला हाईड्रम सिंचाई योजना स्वीकृत हुई थी? यदि हाँ, तो क्या उक्त योजनाएं वर्तमान में कार्य कर रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई

श्री नारायण राम आर्य
14.2.2003

23. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में हुए दैवीय आपदा एवं अतिवृष्टि के कारण जो सड़कें टूटी हैं उनके लिए धन की मांग के लिए आगणन जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा धन उपलब्ध करा दिया गया है? यदि हाँ, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

श्री नारायण राम आर्य
15.2.2003

24. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि आरक्षित क्षेत्र गंगोलीहाट जनपद पिथौरागढ़ में आश्रम पद्धति विद्यालय की मांग जनता बहुत समय से करती आ रही है? क्या सरकार जनहित में उक्त विद्यालय खोले जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण

श्री बलबीर सिंह नेगी
15.2.2003

25. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में राजस्व विभाग के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व

श्री बलबीर सिंह नेगी
15.2.2003

26. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में अभी तक कितने गैर सरकारी संगठन (N.G.O.) पंजीकृत हैं? इनमें से कितनी स्वयं सेवी संस्थायें आज तक कार्यरत हैं? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद टिहरी में अभी तक कितने गैर सरकारी संगठन (N.G.O.) कार्य कर रहे हैं तथा अब तक उन्हें कितनी धनराशि विभिन्न स्रोतों से किन-किन कार्यों हेतु आवंटित की जा चुकी है?

समाज कल्याण

श्रीमती आशा नौटियाल 15.2.2003	27. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग में सन् 1999 एवं 2001 में आये विनाशकारी भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों, स्कूलों एवं सरकारी भवनों के निर्माण कार्य के लिए सरकार द्वारा अलग से बजट की व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री बिशन सिंह चुफाल 15.2.2003	28. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में सौगाँव नहर के हैड में दीवार टूट जाने से सिंचाई नहीं हो पा रही है? क्या सरकार दीवार हेतु धन स्वीकृत करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?	सिंचाई
श्री बिशन सिंह चुफाल 17.2.2003	29. क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ की गिनी नहर वर्ष 1995 में भू-स्खलन से पूरी टूट गयी है? क्या सरकार की गिनीगाँव के अन्य स्रोत से नहर निकालने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक इस योजना पर कार्य आरम्भ हो जायेगा?	सिंचाई
डॉ0 नारायण सिंह जंतवाल 17.2.2003	30. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम कालाढूँगी खाम, तहसील कालाढूँगी जनपद नैनीताल में 1947 से पूर्व के भूमि कब्ज़ेदार जिनकी संख्या लगभग 175 है तथा 1947 के पश्चात् कब्ज़ेदारों की संख्या लगभग 49 है, को भूमि का मालिकाना हक देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
श्री बलबीर सिंह नेगी 11.2.2003	31. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील को जिला बनाये जाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक घनसाली तहसील को पूर्ण जिला का दर्जा दे दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
श्री बलबीर सिंह नेगी 17.2.2003	32. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1999 में आये भूकम्प के दौरान घनसाली विधान सभा क्षेत्र के श्रेणी 1,2,3 में प्रभावित कितने परिवारों को राहत राशि आवंटित की गई है? क्या श्रेणी 1,2,3 के समस्त परिवारों को राहत राशि आवंटित की जा चुकी है? यदि हाँ, तो अब तक कितनी राहत राशि उक्त श्रेणी से प्रभावित परिवारों को आवंटित की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री बलबीर सिंह नेगी 17.2.2003	33. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में दैवीय आपदा से क्षेत्र के कौन- कौन से गाँव प्रभावित होने की सूचना है तथा इनमें पुनर्वास की योजना कब तक पूरी हो जायेगी?	आपदा प्रबन्धन

श्री बलबीर सिंह नेगी 17.2.2003	34. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1999 में आये भूकम्प के दौरान घनसाली विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने भवनों को गृह अनुदान राशि की भिन्न-भिन्न श्रेणियों में रखा गया था? यदि हाँ, तो क्या चयनित भवन स्वामियों को गृह अनुदान वितरण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री बलबीर सिंह नेगी 17.2.2003	35. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवीय आपदा से प्रभावित घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितने गाँवों को पुनर्वास्र हेतु चुना गया है? उक्त गाँवों के पुनर्वास हेतु सरकार क्या योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री बलबीर सिंह नेगी 19.2.2003	36. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत बासर नहर से कितना भूभाग सिंचित हो रहा है? विगत वर्षों में दैवीय आपदा से नहर को कितनी क्षति हुई है? क्या सरकार उक्त नहर को अविलम्ब ठीक करवाने व समय पर सिंचाई हेतु पानी देने के लिए प्रयास करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री बलबीर सिंह नेगी 19.2.2003	37. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विगत वर्ष कुल कितने अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई तथा वर्तमान समय में कितने छात्रों को उक्त जनपद में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है?	समाज कल्याण
श्री बलबीर सिंह नेगी 19.2.2003	38. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत रानीघर नहर से रानीहाट गाँवों के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार कृषकों की समस्याओं को मद्‌देनज़र रखते हुए अविलम्ब सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री बलबीर सिंह नेगी 21.2.2003	39. क्या आपदा प्रबंधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत 10 अगस्त, 2002 को दैवीय आपदा से ग्राम पंचायत तितरूणा के गाँव अगुण्डा, कोटी, कोट व मेड़, भरवाड़ी में भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा जन और पशुधन की हानि भी हुई है? यदि हाँ, तो क्या उक्त गाँवों के पुनर्वास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक सरकार उक्त गाँवों का पुनर्वास करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन

श्री बलबीर सिंह नेगी 21.2.2003	40. क्या आपदा प्रबंधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड भिलंगना के ग्राम अगुण्डा, कोटी, कोट, मेड़, भरवाड़ी, निकलगाँव, बूढ़ाकेदार में वर्ष 2002 में, दैवीय आपदा से प्रभावित तथा वर्तमान में भू-स्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है? यदि हाँ, तो उक्त गाँवों में सुरक्षा एवं बचाव के लिए क्या कोई योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री बलबीर सिंह नेगी 21.2.2003	41. क्या आपदा प्रबंधन मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत ग्राम धार गाँव (नेलचामी) में भू-स्खलन होने का खतरा है? यदि हाँ, तो सरकार इसके रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री मातबर सिंह कण्डारी 21.2.2003.	42. क्या आपदा प्रबंधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1999 के विनाशकारी भूकम्प से जनपद रूद्रप्रयाग, चमोली टिहरी गढ़वाल में कितने राजकीय इण्टर कॉलेज, रा0उ0मा0वि0 तथा कितने जू0हा0 स्कूल एवं बेसिक पाठशाला भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं? क्या सरकार द्वारा इन क्षतिग्रस्त भवनों के नवनिर्माण हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई हैं? यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है?	आपदा प्रबन्धन
काजी निजामुद्दीन 22.2.2003	43. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ब्लाक नारसन स्थित ग्राम ''नारसन कलाँ'' में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है? यदि हाँ, तो यह प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी?	राजस्व
श्री बलबीर सिंह नेगी 22.2.2003	44. क्या आपदा प्रबंधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002 में जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवीय आपदा, बाढ़, भू-स्खलन से कितने कृषकों के मकानों एवं भूमि का नुकसान हुआ है? क्या मंत्रीजी यह भी बतायेंगे कि उक्त आपदाओं से जनपद का कौन सा विकास खण्ड अधिक प्रभावित हुआ? सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को अब तक क्या-क्या राहत प्रदान की गई हैं?	आपदा प्रबन्धन
श्री बलबीर सिंह नेगी 22.2.2003	45. क्या आपदा प्रबंधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में वर्ष 2002 को दैवीय आपदा से सार्वजनिक सम्पत्ति को कितना नुकसान हुआ? क्या उक्त विकास खण्ड की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत हेतु सरकार ने अब तक कितनी धनराशि अवमुक्त की है तथा मरम्मत कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन

श्री बलबीर सिंह नेगी 22.2.2003	46. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा व धर्मगंगा नदियों के कारण प्रतिवर्ष कितनी कृषि भूमि का कटाव हो रहा है? क्या सरकार जनहित में उक्त नदी पर तटबंध बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उक्त नदी पर तटबंध बनाये जाने का निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?	सिंचाई
श्री बलबीर सिंह नेगी 22.2.2003	47. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री बूढ़ाकेदारनाथ मन्दिर के गाँव थाति में दोनों ओर धर्मगंगा व बालगंगा नदी से हो रहे कटाव एवं भू-स्खलन को रोकने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इस योजना का स्वरूप क्या है?	सिंचाई
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 24.2.2003	48. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला चमोली के जोशीमठ महा-विद्यालय हेतु सिंचाई विभाग की जोशीमठ स्थित भूमि महाविद्यालय जोशीमठ के नाम हस्तांतरित कर दी गई है? यदि नहीं, तो हस्तांतरण की कार्यवाही किस स्तर से लम्बित है और कब तक हस्तांतरित कर दी जायेगी?	सिंचाई
श्री बलबीर सिंह नेगी 24.2.2003	49. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना की नहरों के रखरखाव व मरम्मत हेतु सिंचाई विभाग द्वितीय खण्ड नरेन्द्रनगर द्वारा किन-किन नहरों पर कितनी-कितनी धनराशि इस वर्ष आवंटित की गई तथा अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है? क्या भिलंगना क्षेत्र की सभी नहरों की मरम्मत की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री बलबीर सिंह नेगी 25.2.2003	50. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में उखन्द्रा नहर योजना पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मरम्मत का कार्य चल रहा है? यदि हाँ, तो कब तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री बलबीर सिंह नेगी 25.2.2003	51. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना बासर नहर सिंचाई योजना कब बनाई गई थी तथा इस सिंचाई नहर से कुल कितने कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलती है? क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि उक्त नहर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहर की मरम्मत की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस नहर पर मरम्मत कार्य करवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई

श्री मातबर सिंह कण्डारी •26.2.2003	52. क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में अधिकांश क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरें एवं हाइड्रम योजनायें धनाभाव के कारण अपूर्ण हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रदेश सरकार इन क्षतिग्रस्त नहरों एवं हाइड्रम योजनाओं की मरम्मत के लिए कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री बलबीर सिंह नेगी 26.2.2003	53. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में कुण्डारा नहर सिंचाई योजना पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अविलम्ब मरम्मत का कार्य करा कर कास्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 28.2.2003	54. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में विकास खण्ड दशोली के ग्राम खैनूरी में हो रहे भूमि कटाव/भूस्खलन की रोकथाम हेतु शासन स्तर पर उपलब्ध प्राथमिक आगणन 4-075 लाख रूपये इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 19.2.2003	55. क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि मण्डलायुक्त गढ़वाल का कैम्प न्यायालय सप्ताह में दो दिन देहरादून में लगता है? क्या यह सत्य है कि जनपद हरिद्वार के वादकारियों को देहरादून आने जाने में कठिनाई होती है? क्या सरकार जनहित में मण्डलायुक्त गढ़वाल का कैम्प न्यायालय, हरिद्वार के जनपद मुख्यालय रोशनाबाद में सप्ताह में दो दिन आयोजित कराने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी "ग"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री भगत सिंह कोश्यारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. दो लाख लोगों को रोजगार देने का वादा पूर्ण न किए जाने और इस वर्ष प्रत्यक्ष सेवाओं में कम से कम 20 हजार नियुक्तियां करनें, 2. विशिष्ट बी0टी0सी0 डिप्लोमा इंजीनियर, फार्मासिस्ट, आई0टी0आई0 प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति दिये जाने, 3. खनन नीति में परिवर्तन कर स्थानीय लोगों के माध्यम से नदी चुगान आदि में प्राथमिकता देने तथा खनन पट्टा जारी करने का अधिकार उप जिलाधिकारी को सौंपने, 4. गन्ना तथा अन्य कृषि उपजों के समर्थन मूल्य की घोषणा करने तथा पूर्व निर्धारित मूल्य का भुगतान करने, 5. राज्य में भ्रष्टाचार का निदान करने, 6. पर्यटन को जन सहभागिता के साथ विकसित करने, 7. शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु उपाय करने, 8. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत विकास के तहत सड़क, स्कूल, अस्पताल स्वीकृत करने, 9. जनपद बागेश्वर तथा रूद्रप्रयाग में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय खोलने।"

...2/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
2.	श्री मातबर सिंह कण्डारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. सौंराखाल भरदार (रूद्रप्रयाग) में आई0टी0आई0 खोलने,
2. जिला मुख्यालय रूद्रप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय खोलने,
3. उपतहसील जखोली को पूर्ण तहसील बनाने,
4. सिद्धसौड (बडमा), किमाणा (फुटगढ़), घंगासू (बांगर), धोल्तीर (रानीगढ़), कांडई (बछणस्यूँ) तथा सौंराखाल भरदार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने,
5. जनपद मुख्यालय रूद्रप्रयाग में राजकीय पोलिटेक्निक कालेज खोलने,
6. तुनेट (भरदार), देवीधार (सिलगढ़) गहडखाल (बछणस्यूँ), पुलन (बांगर), अमकोटी (लस्या) हडेतीखाल (दश्ज्यूला), जसोली (रानीगढ़) तथा ग्वेफड धनपुर में राजकीय चिकित्सालय खोलने,
7. लस्तर नदी (रिखैंण) रहड़ (सिलगढ़), मन्दाकनी नदी (गंगतल), अलकनन्दा नदी धुर्येली (दश्ज्यूला), तथा अलकनन्दा नदी पपडासू (भरदार) में झूला पुल का निर्माण करने,
8. जखन्यालगाँव (बडमा), कोटी सेम (बडमा), सिखाडी, पुलन लिस्वाल्टा (बांगर), बक्सीर भुनालगाँव डाँगी खोड (पूर्वी बांगर) तथा गवाँणा (भरदार) में विद्युतीकरण की सुविधा देने,
9. तल्ला नागपुर, दश्ज्यूला, रानीगढ़, धनपुर, बछणस्यूँ तथा भरदार को मिलाकर रूद्रप्रयाग में नये विकास खण्ड का सृजन करने,
10. नगरासू जसोली डाँडाखाल, तिलवाड़ा सौराखाल, खांकरा कांडई खेडाखाल, जखोलीमीरी मोटर मार्गो का डामरीकरण करने,
11. शासन प्रशासन को चुस्त दुरूस्त करते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने,

...3/...

क्र.सं. **प्रस्तावक का नाम** **संशोधन का रूप**

12. ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली देकर लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने एवं जले ट्रॉंस्फार्मरों को तत्काल बदलने,
13. सम्पूर्ण उत्तरांचल में मद्य निषेध लागू करने,
14. विकास खण्ड जखोली रूद्रप्रयाग के भवन का निर्माण करने,
15. तिलवाड़ा में महिला चिकित्सालय खोलने,
16. चिरबटिया, बांगर, बडमा, रानीगढ़, धनपुर बछणस्यूँ में फल पट्टी योजना शुरू करवाने,
17. चिरबटिया (लस्या) में राजकीय आलू फार्म की स्थापना करने,
18. रतूड़ा (धनपुर) में राजकीय आदर्श कृषि फार्म की स्थापना करने,
19. खांकरा (बछणस्यूँ) में राजकीय डेरी फार्म की स्थापना करने,
20. तुनेटा भरदार में गत्ता फैक्ट्री की स्थापना करने,
21. हरियाली देवी, नैनादेवी, जखोली, चिरबटिया, सिद्धसौड, मठियाणाखाल पर्यटक स्थलों का विकास कराने,
22. जनपद रूद्रप्रयाग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उप वन संरक्षक, प्रबंधक उद्योग विभाग निरीक्षक मत्स्यपालन के पद सृजित कर उक्त पदों पर नियुक्ति दिलाने,
23. धनकुराली नहर, तुनेट नहर, बरसारी नहर, पाँजणा नहर चाका नहर, खांकरा नहर, नगरासू नहर, चोपडा नहर, सुमाडी नहर, पज्ञोला नहर धारी नहर की मरम्मत करवाने,
24. बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रदेश में उद्योग धन्धों को लगाने,
25. भवन विहीन बेसिक पाठशालाओं एवं भवन विहीन जूनियर हाई स्कूलों में भवन निर्माण कराने,

...4/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26. रा0उ0मा0वि0 तथा रा0इ0का0 में प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती कराने, 27. विकलाँग विधवाओं एवं वृद्धावस्था पेंशन का वितरण तत्काल करवाने, 28. किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान तत्काल करवाने, 29. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छूटे परिवारों को बी0पी0एल0 के कार्डो की सुविधा देने, 30. दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों में खुले अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति करने, 31. मानक के आधार पर दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यपकों की नियुक्ति करने, 32. प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरूस्त कर उत्तरांचल को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने।"
3.	श्री प्रीतम सिंह पंवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को उत्तर प्रदेश भेजे जाने के लिए उन्हें कार्यमुक्त कर रिक्त स्थान पर शिक्षित-प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्त किये जाने, 2. प्रदेश की स्थायी राजधानी की घोषणा कर अस्थाई राजधानी में बेहिसाब हो रहे खर्चो पर रोक लगाकर स्थाई राजधानी के निर्माण व विकास किये जाने, 3. उत्तरांचल की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संरचना अक्षुण्ण रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत विशेष प्राविधान किये जाने के लिए केन्द्र सरकार को संस्तुति करने, 4. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने,

...5/..

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5. प्रदेश में नौकरशाही को अनुशासित करने, 6. प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के लिये प्रभावी उपाय की घोषणा करने, 7. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों, बी0एड0, सी0पी0एड0, डिप्लोमा धारी इन्जीनियरों तथा अन्य प्रशिक्षित व उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने, 8. राज्य के भेड़ पालकों के उत्थान के लिए व उनके द्वारा उत्पादित ऊनी सामाग्री के विपणन की समुचित व्यवस्था करने, 9. अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के समुचित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप विकास नीति बनाने, 10. प्रदेश के बेरोजगारों की विषम आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जीवन यापन हेतु बेरोजगारी भत्ता दिये जाने तथा परीक्षा व साक्षात्कार में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करने, 11. प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत ईंधन स्रोतों के घटने के कारण रसोई गैस में प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी की व्यवस्था करने, 12. प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर खेल स्टेडियम की स्थापना करने, 13. प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति व जलवायु की अनुकूलतः के परिपेक्ष्य में बे-मौसमी सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, बागवानी के लिए ब्लाक स्तर पर प्रसार-प्रशिक्षण व्यवस्था कर उत्पादित सामग्री के बाजार की व्यवस्था करने, 14. उत्तराखण्ड की गौरवमयी संस्कृति को संरक्षित करने व समुचित स्थान प्रदान करने एवं क्षेत्रीय भाषाओं यथा गढ़वाली, कुमाऊँनी, जौनसारी, भोटिया के विकास के लिए एक राज्य स्तरीय पृथक अकादमी की व्यवस्था करने, 15. गन्ना किसानों को उनके उत्पादन का समुचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करने तथा चीनी मिलों द्वारा समयबद्ध भुगतान के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने,

...6/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16. राज्य में कठिन कार्यो के बोझ तल्ले दबी महिलाओं के विकास के लिए पृथक नीति बनाये जाने,
		17. टिहरी बाँध परियोजना के विस्थापितों की समस्या को हल करने के लिए समेकित एवं समयबद्ध नीति को घोषित करने,
		18. मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण से प्रभावित परिवारों के सदस्यों को सरकारी सेवा में लेने,
		19. प्रदेश में स्तरीय शिक्षा के विकास के लिए स्नातक स्तर तक निःशुल्क पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करने,
		20. वन विभाग में कार्यरत दैनिक व संविदा आधारित कर्मचारियों को वृत स्तर पर नियमित करने व साधन सहकारी समिति सचिव, गणक, संग्रह अमीनों, लो0नि0वि0, जल संस्थान में कार्यरत पी0टी0सी0 सहित विभिन्न, निगमों में दैनिक व संविदा आधारित कर्मचारियों को नियमित कर राज्य कर्मचारी घोषित करने,
		21. प्रदेश में प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन कर प्रताबनगर, बड़कोट, कोटद्वार, रुड़की को अलग जनपद बनाए जाने,
		22. प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यो, प्रवक्ता व अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने,
		23. चिन्यालीसौड़ व गौचर में स्थापित हवाई पट्टियों को सुदृढ़ कर वर्ष, 2003 यात्रा काल से वायु सेवा प्रारम्भ करने हेतु व्यवस्था करने,
		24. स्वीकृत मोटर मार्गो भड़कोट-रौंतल, बगोडी, धरासू-रौंतल, धरासू-चमियारी, चिन्यालीसौड़-कोट (बागी), बडेथी-कांदला, भवान-नगुण, कल्याणी-तराकोट, सुलियाखोल-नौगाँव गोडर, चामी-सिंगुणी, नौगाँव-स्यूरी, चोपडा-वणगाँव, गमरागड-चोपडा सहित राज्य के सभी स्वीकृत मोटर मार्गो का कार्य प्रारम्भ करवाने तथा अधूरे पड़े मोटर मार्गो को पूरा करवाने सहित आवश्यक नए मार्गो के निर्माण करवाने,
		25. इन्द्रकील पर्वत, जगदेई, नागटिब्बा, सेम, राड़ी देवराणा, मौरियाणा, डोडीताल सहित राज्य के सभी सुन्दर स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26. प्रदेश में दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को विना भेदभाव के समान सहायता उपलब्ध कराये जाने।
4.	श्री नारायण पाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. सितरागंज में बैगुल नदी के लगातार कटाव से भूमि की सुरक्षा के उपाय किए जाने, 2. ग्राम आस्ता, सितारगंज, जहाँ शिक्षा, चिकित्सा सड़क, सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, का समुचित विकास किये जाने, 3. सितारगंज चीनी मिल के लम्बित गन्ना भुगतान अविलम्ब किये जाने, 4. थारू जनजाति में शिक्षा, चिकित्सा समेत समुचित विकास किये जाने, 5. नानमकत्ता क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने।"
5.	श्री हरबंस कपूर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. सीवर के पानी को खुले में छोड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने एवं विभाग के अधिकारियों को दंडित किये जाने, 2. देहरादून निगम की सफाई व्यवस्था को सुदृढ किये जाने तथा निगम के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, 3. देहरादून निगम में सम्मिलित नये क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर मलिन बस्तियों को चिन्हित कर पंजीकृत किये जाने एवं मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत सुधार कार्य किए जाने,

...8/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4. 14-देहरादून विधान सभा क्षेत्र स्थित कौलागढ़, मन्नूगंज, शांतिविहार, गोविन्दगढ़, चुक्खुवाला, खुड़बुड़ा, राजेन्द्र नगर आदि क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत के परिप्रेक्ष्य में कौलागढ़, खुड़बुड़ा, चुक्खुवाला, गोविन्दगढ़ में एक-एक ट्यूबैल लगाए जाने, 5. मन्नूगंज, खुड़बुड़ा, लूनिया मोहल्ला आदि क्षेत्रों में गुजरने वाले गन्दे नाले का ढक्कनयुक्त किए जाने, 6. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्रसारित गुच्छू पानी भट्टा, गूलर घाटी, पर्यटन योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच करने एवं वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किए जाने।"
6.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नही किया है :- 1. यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल की कौड़िया किनसार रोड का डामरीकरण करने, 2. लक्ष्मणझूला पांडव गुफा के नजदीक गंगा नदी पर मोटर पुल का निर्माण करने, 3. थल नदी, विकास खण्ड यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल में स्थित पालिटेनिक को महिला पालिटेकनिक कर महिलाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा प्रारम्भ करने, 4. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत डाडामण्डी विकास खण्ड द्वारीखाल, पौड़ी गढ़वाल में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने, 5. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत गैड़खाल, पौड़ी गढ़वाल में एक 20 शैया का अस्पताल खोलने, 6. स्वर्गाश्रम, पौड़ी गढ़वाल में औद्योगिक इकाई की स्थापना करने, 7. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के रा0उ0मा0 विद्यालय महादेव चट्टी का उच्चीकरण करने,

...9/..

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. पूर्व मा0 विद्यालय चोपड़ा, यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल का उच्चीकरण करने।"
7.	श्री कैलाश शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. अल्मोड़ा नगर की जर्जर मुख्य सड़क की मरम्मत करने, 2. उत्तरांचल में अशासकीय मान्यता प्राप्त हाईस्कूल/ईण्टरमीडिएट कालेजों को अनुरक्षण अनुदान देने, 3. अल्मोड़ा जनपद में भैसियाछाना विकास खण्ड में नैनीहरड़ा मोटर मार्ग का निर्माण करने, 4. अल्मोड़ा जनपद में भैसियाछाना विकास खण्ड के मंगतलता में झूलापुर का निर्माण करने, 5. अल्मोड़ा नगर के महिला चिकित्सालय के भवन के जीर्णोधार एवं कर्मचारी आवासीय भवन बनाने, 6. अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड हवालबाग के प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के जीर्ण भवन की मरम्मत करने, 7. अल्मोड़ा नगर में टैक्सी स्टैण्ड बनाने, 8. हवाल-बसाली मोटर मार्ग को पूर्ण करने, 9. कोसी कसार देवी पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने, 10. शेराघाट नाली मोटर मार्ग एवं पुल का निर्माण करने, 11. गोवर्धन तिवारी बेस अस्पताल अल्मोड़ा में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति करने।
8.	श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

...10/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		1. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत अधूरे पड़े मोथरोंवाला-दूधली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करने, 2. जंगली हाथियों द्वारा नकरौड़ा, चांदमारी, माधोवाला, सतीवाला, दूधली, सिमलास, नागल, बुलन्दावाला आदि गांवों में कृषि उत्पादों में हो रही क्षति के सम्बन्ध में क्षेत्रवासियों की जीवन रक्षा की व्यवस्था करने, 3. राज्य आन्दोलन में गोलियों से घायल आन्दोलनकारियों को रोजगार उपलब्ध कराने, 4. राजीवनगर, डांडा वार्ड 2, देहरादून महानगर में घरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाईनों को हटाने, 5. जनपद देहरादून में बिन्दाल नदी द्वारा क्लेमेंटाउन कैंट, इन्दिरा फार्म, मोथरोंवाला, दौड़वाला, सिमलास, खैरी, झबरावाला, बुल्लावाला गांवों में प्रतिवर्ष सैकड़ों बीघा भूमि के जलकटाव को रोकने, 6. बिन्दाल व सुसवा नदी में हो रहे अतिक्रमण को हटाने।
9.	श्री मदन कौशिक	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है" :- 1. प्रदेश कानून व्यवस्था को सुधारने हेतु योजना बनाने, 2. प्रदेश के किसानों की जर्जर आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें बिजली एवं पानी की आपूर्ति निःशुल्क देने, 3. किसानों के गन्ने का उचित मूल्य एवं तुरन्त भुगतान किए जाने, 4. उत्तरांचल के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने, 5. प्रदेश में आबकारी नीति को प्रभावी बनाने, 6. प्रदेश में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए परिवार नियोजन की किसी कार्ययोजना को बनाए जाने, 7. प्रदेश के नीजी इन्जीनियरिंग कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया लागू करने,

...11/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. उत्तरांचल में मूल निवास प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल एवं उसे प्राप्त करने की सीमा निश्चित करने, 9. उत्तरांचल के व्यापारियों हेतु 'वैट' को सरलीकरण करने एवं उसमें छूट देने, 10. प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगों को स्थापित करने हेतु उद्यमियों को आकृषित करने, 11. स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के पेंशन वृद्धि, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि करने, 12. उत्तरांचल में अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल/हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अनुरक्षण अनुदान देने की कोई कार्ययोजना बनाने, 13. प्रदेश में आई0एस0आई0 एवं माओवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने, 14. प्रदेश में सहकारिता के चुनाव जल्दी कराये जाने, 15. उत्तरांचल में गंगा को प्रदूषण से पूर्णतया मुक्त रखने के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनाने, 16. उत्तरांचल के विधायकों को विधायक निधि एक करोड़ किये जाने, 17. प्रदेश के गरीब लोगों को आर्थिक आरक्षण दिये जाने, 18. उत्तरांचल को शेष परिसम्पत्तियों में हिस्सेदारी तथा अधिकारों को दिलाने की समय सीमा निश्चित करने, 19. भ्रष्टाचार पर अंकुश हेतु स्पष्ट नीति बनाने, 20. राज्य की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु पृथक चिकित्सा नीति बनाने, 21. व्यय कम करने हेतु मंत्रि मंडल के आधार को कम करने, 22. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में साईन्स डिग्री कालेज खोलने, 23. हरिद्वार में वर्ष भर पडने वाले मेलों को अधिसूचित कर यात्रियों की सुविधा हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने, 24. हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित करने, 25. हरिद्वार में हवाई पट्टी का विस्तार कर विमान सेवा प्रारम्भ किये जाने की व्यवस्था करने, 26. हरिद्वार के पौराणिक महत्व के स्थलों को विकसित किये जाने, 27. हरिद्वार के ज्वालापुर में बस स्टैण्ड बनाने, 28. हरिद्वार में सिटी बस चलाने,

...12/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		29.हरिद्वार में मेडिकल कालेज खोलने, 30.राज्य में गौ रक्षा आयोग के सम्बन्ध में, 31.हरिद्वार को पूर्णतया सीवरेज से जोड़ने, 32.उत्तरांचल के संस्कृत विद्यालयों को पंचम् वेतनमान देने।"
10.	श्री माल चन्द	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नही किया है :- 1. विधान सभा क्षेत्र पुरोला को जनपद बनाने, 2. राजगढ़ी को तहसील एवं मोरी को तहसील बनाने, 3. सूखे से पीड़ित लोंगो के लिए राहत देने, 4. गोविन्द पशु विहार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विस्थापित करने, 5. गोविन्द पशु विहार में रहने वाले लोगों के लिए विकास से संबंधित कार्यो के लिए कोई नीति बनाने, 6. भेड़ पालकों को चरान चुगान की गोविन्द पशु विहार में व्यवस्था करने, 7. 30 कि0मी0 चलने वाले गाँव के लोगों के लिए सड़क बनाने, 8. विधान सभा क्षेत्र पुरोला में दूर दराज के गाँव के लोगो के लिए स्कूल खोलने, 9. ऊन से सम्बन्धित वस्त्र की लघु उद्योग इकाई स्थापित करने, 10.पर्वतीय क्षेत्र में ऊन की मण्डी एवं कार्डिंग प्लान्ट स्थापित करने, 11.बाढ़ से खेतों के कटान रोकने एवं कटान के लिए मुवावजा देने, 12.विधान सभा क्षेत्र पुरोला में जड़ी बूटी केन्द्र की स्थापना करने, 13.विधान सभा क्षेत्र पुरोला के दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा डाक्टरों को नियुक्त करने।"

...13/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
11.	श्रीमती आशा नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. विधान सभा क्षेत्र, केदारनाथ, जिला-रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के उत्तराखण्ड विद्यापीठ में आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट की ट्रेनिंग शुरू करने, 2. विकास खण्ड, अगस्त्यमुनी, जनपद-रूद्रप्रयाग के कारगिल शहीद भगवान सिंह मोटर मार्ग को स्थान वासबाडा से मोहनखाल तक डामरीकरण करने, 3. तहसील, ऊखीमठ, जनपद-रूद्रप्रयाग, में बालिका हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कॉलेज खोलने, 4. विकास खण्ड-अगस्त्यमुनी, जनपद-रूद्रप्रयाग, विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में तल्लानागपुर तथा वसुकेदार नये विकास खण्डों का सृजन करने, 5. विधान सभा केदारनाथ, के विकास खण्ड-अगस्त्यमुनी, में ग्राम इशाला, तेवडी, दौला कन्यास में पेयजल की सुविधा प्रदान करने, 6. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ व अगस्त्यमुनी में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग, पैदल मार्ग, पैदल पुल व यात्री मार्गो का सुधार करने, 7. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ, जनपद-रूद्रप्रयाग में पर्यटक स्थलों व धार्मिक स्थलों का विकास जैसे-देवरियातल का सौन्दर्यीकरण, कार्तिक स्वामी में पैदल मार्ग निर्माण व सौन्दर्यीकरण, वसुकेदार मन्दिर का सौन्दर्यीकरण करने, 8. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ, जनपद-रूप्रयाग में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुमेरा, मणिगुह, भणज, रामपुर का उच्चीकरण करने।"
12.	श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नही किया ह :-

...14/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		1. जनपद चमोली की नन्दादेवी राजरात यात्रा मार्ग के लिए विशेष आवासीय भवन, निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने, 2. विकास खण्ड घाट एवं पोखरी में खेल मैदान निर्माण को प्राथमिकता देने, 3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने, 4. विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, 5. विकास खण्ड पोखरी में पूर्व में संचालित लोक निर्माण विभाग के डिविजन को पुनः खोलने, 6. विकास खण्ड घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी के अनेकों गाँवों को विद्युतीकरण से जोडने, 7. विकास खण्ड घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी के पेयजल सुविधा से वंचित गांवों क्वीठी कांण्डा, सिमलासू, जिलासू, मिलोठी मस्टगाँव, पगना, करूणमल्ला, मोली हिडोली सुनाली आदि गाँवों को प्राथमिकता से जोड़ने,. 8. विकास खण्ड घाट एवं पोखरी में रिक्त संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों, विद्यालय भवनों के निर्माण एवं रखरखाव को प्राथमिकता देने, 9. विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत ग्राम वमोथ में गोचर-वमोथ को मोटर मार्ग पुल से प्राथमिकता के आधार पर जोडने, 10. शासन में विद्यालयों के उच्चीकरण हेतु लम्बित लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता देने, 11. विकास खण्ड पोखरी में उडामाडा-चोपड़ा मोटर मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करने।"
13.	श्री विशन सिंह चुफाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. राम गंगा नदी पर नामिक डीडीहाट में झूला पुल बनाने,

...15/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2. दैवी आपदा में क्षतिग्रस्त डीडीहाट के गोरघटियां गाड़ जगथली में झूला पुल का निर्माण करने, 3. दैवी आपदा में डीडीहाट दूनाकोट में मेठीगाड़ तथा खेतार में पुलिया का निर्माण करने, 4. डीडीहाट में मिनी स्टेडियम का निर्माण करने, 5. डीडीहाट के अलगड़ा पुर्नगठन पेयजल योजना का निर्माण करने, 6. डीडीहाट चौसाल लेक पेयजल योजना को कार्यान्वित करने, 7. डीडीहाट के नाचनी में हाईड्रम योजना बनाने।"
14.	श्री अनिल नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्णप्रयाग का उच्चीकरण करने, 2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गैरसैण का उच्चीकरण करने, 3. गौचर (चमोली) में स्टेडियम निर्माण करने, 4. गौचर (चमोली) में निर्मित हवाई पट्टी के दोनों ओर रास्ते एवं नाली निर्माण करने, 5. बगोली (कर्णप्रयाग) से चूला-गबनी मोटर मार्ग के बनाने, 6. देवागाड़ (गैरसैण) से कण्डारीखोड़ मोटर मार्ग बनाने, 7. नैल-देवपुरी (गैरसैण) से तलवाड़ी (थराड़ी) मोटर मार्ग बनाने, 8. बड़ेथ-पिण्डवाली (गैरसैण) एल0वी0आर0 को चौड़ा डामरीकरण के करने, 9. गडोत (गैरसैण) झूला पुल बनाने, 10. महाविद्यालय गैरसैण के भवन का निर्माण करने, 11. जू0हा0 स्कूल घण्डियाल (गैरसैण) एवं चूला (कर्णप्रयाग) का के उच्चीकरण करने, 12. छातोली, ग्वाड़, नौडुंगी, जसपुर (कर्णप्रयाग) एवं रणचौरा पांडवाखाल गोगनातल्ला-मल्ला (गैरसैण) आदि ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने, 13. सिमली-सेनू (कर्णप्रयाग) नहर का पुनः निर्माण करने।"

...16/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
15.	श्री प्रकाश पन्त	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित नई झील निर्माण का निर्माण करने, 2. जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में रिंग रोड का निर्माण करने, 3. पूर्व में स्वीकृत जी0आई0सी0-सुकाली-चमाली मोटर मार्ग, अशोक नगर भाटी गाँव मोटर मार्ग, बड़ाबे-तोली मोटर मार्ग, दिग्तोली-दयूड़ी मोटर मार्ग, बडारी-कांटेबोरा मोटर मार्ग क निर्माण करने, 4. नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़ में सीवर लाइन का निर्माण करने, 5. नैनी-सैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ का विस्तारीकरण कर वायु सेवा प्रारम्भ करने की व्यवस्था करने, 6. जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़, जिला महिला चिकित्सालय में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति करने, 7. पूर्व स्वीकृत अप्पूघर (बहुउद्देशीय पार्क) पिथौरागढ़ के निर्माण करने, 8. जनपद पिथौरागढ़ में रिक्त गोरखा राजाओं के किले को संरक्षित इमारत घोषित करने हेतु संस्तुति करने, 9. नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मोटर मार्गो को हाटमिक्स करने, 10. जाख-पुरान ग्राम समूह लिफ्ट पेयजल योजना पिथौरागढ़ का निर्माण करने।"
16.	श्री अजय भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. रानीखेत से चौबटिया तक रज्जू मार्ग बनाने, 2. रानीखेत में कीड़ा स्थल का निर्माण करने, 3. रानीखेत में छात्राओं की बढती हुयी संख्या को देखते हुए एक जी0जी0आई0सी0 बनाने,

...17/...

क्र.सं. **प्रस्तावक का नाम** **संशोधन का रूप**

4. रानीखेत नगर में पर्यटकों के वाहन पार्किंग हेतु टैक्सी स्टैण्ड बनाने,
5. रानीखेत को जिला बनाने,
6. मजखाली, जालली एवं मछोड़ को तहसील का दर्जा देने,
7. ताड़ीखेत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण करने,
8. खीरखेत एवं सूरी, बिल्लेख एवं बग्वान पर छोटे अस्पताल खोले जाने,
9. गनियाद्योली-पाण्डेकोटा-बिशालकोठ सड़क का निर्माण करने,
10. ताड़ीखेत-पीपली-मजूरखान सड़क का निर्माण करने,
11. देवलीखेत-ड्योडाखाल-सिलोर महोदव सड़क का निर्माण करने,
12. बेडगाँव-शीतलाखेत सड़क का निर्माण करने,
13. द्वारसो-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने,
14. चौबटिया-नागपानी सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने,
15. ताड़ीखेत-पथूली सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने,
16. ताड़ीखेत-जैना, ताड़ीखेत कोटाड सडको का कार्य प्रारम्भ करने,
17. ताड़ीखेत-ऊणी मण्डलकोट सड़क कार्य प्रारम्भ करने,
18. बिल्लेख-चापड़-भुजान सड़क की स्वीकृति प्रदान करने,
19. गगास से चिलियानौला पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
20. गगास से चमड़खान पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
21. कोसी-शेर पम्पिंग योजना का निर्माण करने,
22. कोसी-बिल्लेख पम्पिंग योजना का निर्माण करने,
23. हाईस्कूल मण्डल कोट के भवन का निर्माण करने,
24. हाईस्कूल बबूरखोला के भवन का निर्माण करने,
25. इण्टर कालेज रधुली-पीपल के भवन निर्माण करने,
26. अभ्याडी से रधुलीपीपल-कुणकोली सड़क का निर्माण करने,
27. भुजान-रीची-बिल्लेख सड़क का डामरीकरण करने,
28. देवलीखेत से सौला तक सड़क का डामरीकरण करने,
29. काकडीघाट से शीतलाखेत तक सड़क का डामरीकरण करने,
30. काकडीघाट से चौना तक सड़क का डामरीकरण करने,

...18/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		31. चौबटिया-बमस्यूँ-कुनेलाखेत के शेष मार्ग को पूर्ण करने, 32. चौबटिया-कुनेलाखेत मार्ग का पाखुड़ा का डामरीकरण करने, 33. उप्राड़ी-सिंलगी-ट्रूनाकोट सड़क का निर्माण करने, 34. पन्तकोट्ली-वलना तक सड़क का निर्माण करने, 35. खिरखेत से कारचूली तक के सड़क का निर्माण करने, 36. बन्द पड़ी सरस्वती वूलन मिल रानीखेत का पुनः संचालन करने, 37. को-आपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत को उत्तरांचल को सौपने, 38. जू0हा0 स्कूल सालीखेत का उच्चीकरण करने, 39. प्रा0पा0 लछीना को कन्या जू0हा0 स्कूल तक उच्चीकरण करने, 40. छावनी परिषद् के सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनी बनाने, 41. रानीखेत के उ0प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम डिपो को ताड़ीखेत स्थानान्तरित करने, 42. रा0 कन्या हाईस्कूल ताड़ीखेत के भवन का निर्माण करने, 43. रा0 चिकित्सालय बासुलीसेरा में चिकित्सकों की व्यवस्था करने, 44. नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में सर्जन एवं अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति करने, 45. रानीखेत-एरोड़-गगास सड़क का निर्माण करने, 46. नैनी-जाना-गगास सड़क का निर्माण करने, 47. उत्तरांचल में महिलाओं का जीवन स्तर उठाने, 48. उत्तरांचल के युवाओं को रोजगार देने, 49. गगास नदी के वनघट नामक स्थान पर पुल निर्माण करने, 50. रानीखेत को नगर पालिका बनाने।"
17.	काजी निजामुद्दीन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी की घोषणा करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2. उत्तरांचल राज्य के प्रमुख शहीद स्थल रामपुर तिराहे, जनपद मुजफ्फरनगर, उ0प्र0 को उत्तरांचल राज्य की सीमा का विस्तार करके उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने,
3. उर्दू एकेडमी की स्थापना करने,
4. उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा देने,
5. ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने,
6. जनपद हरिद्वार में सावन माह में कावडियों के लिए वैकल्पिक मार्ग की घोषणा करने,
7. कस्बा मंगलौर में राजकीय कन्या इन्टर कालेज की स्थापना करने,
8. कस्बा मंगलौर में 50 शैय्या के अस्पताल की स्थापना करने,
9. कस्बा मंगलौर में परिवहन डिपो की स्थापना करने,
10. कस्बा मंगलौर में खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम, इन्डोर वैडमिन्टन कोर्ट एवं व्यायामशाला की स्थापना करने,
11. मंगलौर को फल पट्टी एवं मैंगो एक्सपोर्ट जोन घोषित करने,
12. उत्तरांचल राज्य की चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने के लिए गन्ना कमाण्ड एरिया के अनुसार राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने,
13. नारसन ब्लाक, जनपद हरिद्वार में गन्ना और गेहूं शोध केन्द्र खोलने,
14. गन्ना, धान, गेहू व अन्य कृषि उत्पादन जिनकी बिक्री सरकार के माध्यम से होती है, इन उत्पादनों की कीमत फसल बोने से पहले घोषित करने,
15. गन्ना किसानों का बकाया भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र कराये जाने,
16. गन्ना किसानों का बेसिक कोटे के अतिरिक्त बाण्ड कराए गए गन्ने को चीनी मिलों द्वारा खरीद सुनिश्चित करने,
17. जब तक वर्ष, 2002-2003 का पूरा गन्ना समाप्त न हो जाए तब तक उत्तरांचल राज्य की चीनी मिलों को चलाए रखने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18. चीनी मिले एवं गन्ना सोसाइटियों द्वारा किसानों को बीज, खाद एवं कीटनाशक निःशुल्क उपलब्ध कराने, 19. चीनी मिलों एवं गन्ना सोसाइटियों द्वारा गन्ना क्षेत्र में नए मार्गो का निर्माण कराने एवं पुराने मार्गो की मरम्मत कराने, 20. दुधारू एवं कृषि के उपयोग होने वाले पशुओं का निःशुल्क उपचार एवं टीकाकरण करने, 21. अनूसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दुगुनी करने, 22. किसान, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन को दोगुना करने, 23. अनुसूचित जाति के लोगों के अस्थाई पट्टो पर लाभार्थियों को अस्थाई स्वामित्व प्रदान करने, 24. रुड़की को हैन्डीकाफ्ट एक्सपोर्ट जोन घोषित करने, 25. मंगलौर गुड़ मण्डी से व्यापारियों का पलायन रोकने के लिए और मण्डी के सुधार के लिए नई योजना की घोषणा करने।"
18.	श्री काशी सिंह ऐरी डा0 नारायण सिंह जन्तवाल श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. राज्य की स्थाई राजधानी का चयन एवं निर्माण करने, 2. राज्य में जमीनों की मनमानी खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत् विशेष प्रावधान लागू किये जाने, 3. मुजफ्फरनगर काण्ड के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में, 4. उत्तर प्रदेश के साथ परिसम्पत्तियों के बटवारे का निस्तारण निश्चित समयावधि के भीतर किये जाने, 5. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी अधिकारियों, शिक्षकों, एवं कर्मचारियों को अविलम्ब उत्तर प्रदेश वापस भेजे जाने,

...21/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6. प्रभावी रोजगार नीति बनाकर एक निश्चित अवधि के भीतर शिक्षित, प्रशिक्षित एवं अन्य बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने, 7. प्रदेश के मानव संसाधन के समुचित विकास एवं उपयोग हेतु एक कारगर शिक्षा नीति बनाये जाने, 8. उत्तरांचल राज्य की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए कारगर औद्योगिक नीति बनाये जाने, 9. प्रदेश की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के मध्येनजर एक माइक्रोलेबल आधारित कारगर कृषि नीति बनाये जाने, 10. प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने के बकाया भुगतान सहित, न्यूनतम 100 एक सौ रूपया प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने, 11. बिन्दुखत्ता, बग्घा चव्वन, दमुवांढूंगा सहित सभी बन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने, 12. कस्तूरी मृग बिहार अस्कोट सहित विभिन्न वन्य जन्तु अभयारण्यों में सम्मिलित अनावश्यक क्षेत्र को अभयारण्यों से मुक्त किये जाने, 13. धारचूला-मुंस्यारी तहसीलों को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने, 14. राज्य बनने के पश्चात् नये जनपदों, तहसीलों, एवं विकास खण्डों के सृजन, 15. धारचूला, मुंस्यारी, डीडीहाट, जोशीमठ तहसीलों की भांति सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र के नौजवानों की सेना में भर्ती की योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण किये जाने, 16. आई0टी0पी0एल0 वीरभद्र-ऋषिकेश को राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत किये जाने एवं वी0आर0एस0 का विकल्प न अपनाने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समायोजित किये जाने, 17. टिहरी बांध के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कारगर कार्यवाही किये जाने।"

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
19.	श्री बलवीर सिंह नेगी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रभावी नीति बनाने,
2. राजस्व पुलिस की सेवा शर्तो में सुधार करने तथा उन्हें अधिक सुविधा व अधिकार देकर दूरस्थ ग्रामीण अंचल में कानून व्यवस्था ठीक करने,
3. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निर्माण, 20 कि0मी0 डामरीकरण, 5 झूला पुल, 5 नवीन इण्टरमीडिएट, 5 नवीन हाईस्कूल, 5 स्वास्थ्य उप केन्द्रो की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने,
4. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मसिस्टों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं के निराकरण किये जाने,
5. प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मसिस्टों, बी0एड0, वी0पी0एड0, सी0पी0एड0, डिप्लोमा इन्जीनियरों तथा अन्य प्रशिक्षित तथा उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने,
6. प्रदेश में समस्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने,
7. प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने,
8. जनपद टिहरी गढ़वाल में धमातोली, दोणी में मिनी स्टेडियम की स्थापना करने,
9. आपदा प्रबन्धन विभाग को सुव्यवस्थित कर दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने,
10. जनपद टिहरी गढ़वाल के गोना एवं बूढ़ाकेदार क्षेत्र में दैवी आपदा से प्रभावितों का पुनर्वास करने,

...23/..

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

11. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त बासर नहर, पुण्डारा नहर, लुवा नहर, दुरानी नहर, भड़कोट नहर, गांफल नहर, डोखर नहर, श्रीकोटर गांव नहर, खबाड़ा नहर, सिरवाणी नहर, अगुण्डा नहर, भिगुन नहर, मैल्डगांव दला नहर, देवला नहर, जखाणा नहर, उखन्द्रा नहर, चानी नहर निवालगांव नहर, पोखर नहर, डांगभद्री नहर, कण्डारस्यूं नहर, जखेड़गांव नहर, पदोखा नहर, थाति नहर, जखाली नहर, सिल्यारा नहर, चामा नहर, केमरा नहर, खोला नहर, अन्दरिया नहर, असेना नहर, पौनाड़ा नहर, भट्ट गांव नहर छतियारा नहर, घटबाड़ा नहर, केवला नहर चकचोंड नहर आदि 52 क्षतिग्रस्त नहरों का पुर्ननिर्माण करने,
12. टिहरी बांध प्रभावितों के प्रत्येक परिवार को रोजगार व पुनर्वास करने तथा प्रत्येक अवयस्क को पूर्ण परिवार का दर्जा देने,
13. जनपद टिहरी गढ़वाल के कोट विशन, पटागली, थौणीखाल, घनसाली बहेड़ा, मगरों आदि हाईस्कूलों का इण्टरमीडिएट तक उच्चीकरण करने तथा जू0 हा0 स्कूल-केपार्स, कठैती, पाख तल्यावन फलेण्डा, रगड़ी, जसपुर का हाईस्कूल तक उच्चीकरण करने,
14. जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में घनसाली-अखोड़ी-मूलगढ़ मोटर मार्ग, घनसाली-घुत्तु-देवलंग मोटर मार्ग, चमियाला-कोटलगांव-लम्ब गांव मोटर मार्ग, मूलगढ़-थार्ती मोटर मार्ग, घनसाली-बूढ़ाकेदार झाला मोटर मार्ग, विनकखाल मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण व डामरीकरण करने,
15. जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी परिवारों को टिहरी बांध से मुफ्त बिजली देने,
16. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र को नियमित करने,
17. पर्यटन विकास के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-घनसाली में स्थित धार्मिक व पर्यटक स्थलों-बूढ़ाकेदार, घुत्तु मासरताल, जरालताल, मज्याड़ताल, लम्बताल, लिंग ताल, मासू ताल, सहस्त्रताल, क्यारखी बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, झल्ला, वेलक खतलिंग गंगी, पिन्सवाड़, विशोल पर्वत, जगढीशिला, रतकोट मासरताल, वालासुन्दरी, वेलेश्वर, दूधाधारी, ज्वालामुखी, राजराजेश्वरी, हटकुणी, तिनगडिया, रानीगढ़ को चिन्हित कर विकसित करने,

...24/...

18. गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने,
19. होमगार्ड के वेतन में प्रतिदिन 50/- रूपये की वृद्धि करने,
20. उ0प्र0 के विकल्पधारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर उ0प्र0 भेजे जाने तथा उनकी जगह पर शिक्षित-प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति दिये जाने,
21. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के वाटघाट के घायलों/पीड़ितों व प्रमुख आन्दोलनकारियों को विशेष मुआवजा व सम्मान दिये जाने,
22. प्रदेश के अंशकालिक पी0टी0सी0 कार्यकर्त्ताओं को नियमित किये जाने,
23. फलोत्पादन बीमा लागू करने,
24. जनपद-टिहरी गढ़वाल के दूरस्थ स्थान-बूढ़ाकेदार विनकखाल, दयूड़ा घनसाली, भटगांव, के पास एड़ी, पण्चुरी, सरस्वती सैण, स्यूंरी, पिन्सवाड़ गंगी, गेंवाली, पटुड़्गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त संख्या में खोले जाने,
25. जनपद-टिहरी गढ़वाल के चुरेरना बालगंगा होलाणाखाल, पौखाल में विकास खण्ड खोले जाने,
26. टिहरी बांध के कारण जनपद टिहरी गढ़वाल का भूगोल परिवर्तित होने के कारण घनसाली तहसील को पृथक कर पूर्ण जिला घोषित करने,
27. जनपद-टिहरी गढ़वाल के धर्मगंगा में कोटी अगुण्डा के बीच झूला पुल बनवाने तथा बाल गंगा नदी पर पढोखा व भिलंगना नदी पर देवलंग व मेण्डू के बीच झूला पुल निर्माण की स्वीकृति दिये जाने तथा पंगेठी में झूला पुल का निर्माण किये जाने,
28. जनपद टिहरी गढ़वाल के विनकखाल में इंन्जिनियरिंग कालेज खोलने,
29. जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान अखोड़ी के महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
30. भिलंगना विकास खण्ड में फलपट्टी योजना बनाये जाने,
31. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को विकास कार्यो हेतु शिथिल किये जाने,
32. जनपद-टिहरी गढ़वाल के ग्राम सरकण्डा में लिफ्ट पेयजल योजना को स्वीकृत किए जाने,
33. भटगांव-लोढस, आर्स पेयजल योजना में पेयजल आपूर्ति किये जाने,

...25/...

34. रीह से गंगी, लाव से चूलागढ़, बूढ़ाकेदार से ज्वालामुखी, जगढीगाड़ से जगदीसिला, दल्ला से किमुण्डाखाल की यातायात व्यवस्था हेतु रज्जूमार्ग लगाए जाने,
35. बूढ़ाकेदार में चीड़ की पत्तियों पर आधारित कोयला तथा गत्ता उद्योग लगाये जाने,
36. मूलगढ़-ठेला-गण्डाराखाल मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण किए जाने,
37. वूढ़ाकेदार, विनकखाल, जगदीशिला में स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने,
38. पूर्व मा[illegible]मिक व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने"।